

प्रारूप—54

परियोजना विवरण :-

जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल — बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

हो/
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौडी

सहायक अधियन्ता
विवाच बृह, लो० नि० वि०
पौडी गढ़वाल

अधिकारी अधियन्ता
विवाच बृह, लो० नि० वि०
प्रयोक्ता अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेज (पोखड़ा)
गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
अधीक्षेप

प्रारूप—55

परियोजना विवरण :-

जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल - बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेट क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

उक्त परियोजना मार्ग निर्माण की है अतः कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

8/1
सहायक अधिकारी
विवाय वर्ष, लो० चि० लि०
पौडी गढ़वाल

li
वन विभागीय अधिकारी
विवाय वर्ष, लो० चि० लि०
पौडी

3/1
वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)
गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी

1/1
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
थलीसैण

✓
वनाधिकारी
वन विभाग
पौडी

प्रारूप—56

परियोजना विवरण :-

जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल - बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।

नोट - प्रस्तावित मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

SM
सहायक अधिकारी
विधायिक वर्ष, सो० तिं० वि०
पौडी गढ़वाल

hi
अधिकारी अधिकारी
विधायिक वर्ष सो० तिं० वि०
पौडी

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है कि सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :— कुणजखाल—बरसुण मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।
 - (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
 - (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
 - (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

हस्ताक्षर

(नाम बड़े अक्षरों में)

पदनाम

पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का)

तारीखः

स्थानः—

भाग-II

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

5— परियोजना/स्कीम का स्थान :—

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्रः
- ii) जिला:— पौड़ी गढ़वाल।
- iii) वन प्रभागः — गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में):— हेठो
- v) वन की कानूनी स्थिति
- vi) वानस्पति का घनत्व
- vii) अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणीवारः